



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-2, खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अध्यादेश)

लखनऊ, रविवार, 2 अगस्त, 2020

श्रावण 11, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग-1

संख्या 1197/79-वि-1-2020-2(क)-19-2020

लखनऊ, 2 अगस्त, 2020

अधिसूचना

विविध

भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल महोदय द्वारा निम्नलिखित उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल अध्यादेश, 2020 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 18 सन् 2020) जिससे गृह (पुलिस) अनुभाग-6 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, प्रख्यापित किया गया है जो इस अधिसूचना द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल अध्यादेश, 2020

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 18 सन् 2020)

[भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित]

उत्तर प्रदेश राज्य में व्यक्तियों व प्रतिष्ठानों की संरक्षा एवं सुरक्षा हेतु विनिर्दिष्ट रूप से प्रशिक्षित पुलिस बल जहां इसे अभिनियोजित किया जायेगा, का गठन तथा विनियमन करने और उससे संबंधित या आनुषंगिक मामलों का उपबन्ध करने के लिए

अध्यादेश

चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं है और राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिसके कारण उन्हें तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है ;

अतएव, अब, भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करती हैं:-

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

- 1-(1) यह अध्यादेश उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल अध्यादेश, 2020 कहा जायेगा।
 (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य में होगा।
 (3) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जैसा कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियत

करे।

परिभाषाएं

2-जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अध्यादेश में,-

(क) "समादेष्टा", "उप समादेष्टा" और "सहायक समादेष्टा" का तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों से है जो विशेष सुरक्षा बल का गठन किये जाने पर या उसके पश्चात् इस रूप में नियुक्त हों;

(ख) "पुलिस महानिदेशक" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस बल के प्रमुख के रूप में नियुक्त हों ;

(ग) "अधिष्ठान" का तात्पर्य शैक्षिक, वाणिज्यिक, मनोरंजन सम्बन्धी, परोपकारी और सांस्कृतिक प्रयोजनों हेतु कार्य करने वाले किसी संगठन के मामलों में प्रयुक्त किये जा रहे किसी सार्वजनिक या निजी भवन, भू-गृहादि या परिसर से है जिसमें कोई जन समूह स्थल या कोई सामूहिक अभिवहन तन्त्र सम्मिलित है , जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाय;

(घ) "बल" का तात्पर्य धारा 3 के अधीन गठित उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल से है;

(ङ) "औद्योगिक उपक्रम" का तात्पर्य किसी अनुसूचित उद्योग, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम,1951 की धारा-3 के खण्ड (एक) में यथा परिभाषित से सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा यथा अधिसूचित किसी उपक्रम से है जिसमें किसी अन्य उद्योग या किसी व्यापार व्यवसाय या सेवा में संलग्न कोई उपक्रम सम्मिलित है जो संसद या राज्य विधान मण्डल द्वारा विधि के माध्यम से विनियमित हो ;

(च) "प्रतिष्ठापन" का तात्पर्य किसी संगठन के मामले में प्रयुक्त किये जा रहे किसी मूर्ति, स्मारक, भवन, भू-गृहादि या परिसर से है जिसमें कार्यालय सम्बद्ध भवन, आवासीय क्षेत्र और उस भू-गृहादि या परिसर में विद्यमान उस संगठन की सम्पत्ति सम्मिलित है जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाय;

(छ) "बल का सदस्य" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो बल में नियुक्त हो;

(ज) "निजी" का तात्पर्य ऐसे किसी प्रतिष्ठान या अधिष्ठान से है जो केन्द्रीय या राज्य सरकार या उनके अभिकरणों से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा नियंत्रित या व्यवस्थित हो;

(झ) "अधीनस्थ अधिकारी" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो बल में निरीक्षक या उप निरीक्षक रैंक में नियुक्त हो;

(ञ) उक्त बल के किसी अधिकारी के संबंध में "पर्यवेक्षण अधिकारी" का तात्पर्य ऐसे किसी रैंक के अधिकारी से है जो ऐसे अधिकारी से उच्चतर रैंक के रूप में विहित हो;

(ट) "उत्तर प्रदेश पुलिस" का तात्पर्य पुलिस अधिनियम, 1861 के अधीन गठित उत्तर प्रदेश राज्य के बल से है ;

(ठ) "उत्तर प्रदेश प्रादेशिक सशस्त्र रक्षीदल " का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सशस्त्र रक्षीदल अधिनियम, 1948 के अधीन गठित बल से है;

(ड) "उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड" का तात्पर्य शासनादेश संख्या-1256/6-पु-10-2008-27(7)/08 द्वारा भर्ती एवं प्रोन्नति के लिए गठित बोर्ड से है ;

(2) इस अध्यादेश में प्रयुक्त और अपरिभाषित किन्तु भारतीय दण्ड संहिता, 1860 तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में परिभाषित शब्दों एवं पदों के वही अर्थ होंगे जो उसमें क्रमशः उनके लिए समनुदेशित हैं।

3-(1) किसी निकाय या किसी व्यक्ति या राज्य सरकार द्वारा किसी नाम, नामावली या श्रेणी द्वारा अधिसूचित उसके आवासीय परिसर, मा0उच्च न्यायालय इलाहाबाद एवं लखनऊ खण्डपीठ, जिला न्यायालयों, राज्य सरकार द्वारा यथा अधिसूचित कोई अन्य न्यायालय, प्रशासनिक कार्यालय परिसर, पूजा स्थलों, मेट्रोरेल, हवाई अड्डों, बैंकों, अन्य वित्तीय संस्थाओं, औद्योगिक उपक्रमों और इस प्रयोजनार्थ राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य प्रतिष्ठानों या अधिष्ठानों सहित सामरिक एवं महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की उत्तम संरक्षा तथा सुरक्षा के लिए राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल नामक बल का गठन तथा उसका अनुरक्षण किया जायेगा।

बल का गठन

(2) उक्त बल का गठन ऐसी रीति से किया जायेगा और उसमें ऐसी संख्या में पर्यवेक्षण अधिकारी, अधीनस्थ अधिकारी, अवर अधिकारी तथा उक्त बल के ऐसे नामांकित सदस्य सम्मिलित होंगे जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाय।

(3) बल के सदस्यगण यथा विहित वेतन और अन्य पारिश्रमिक प्राप्त करेंगे जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाय।

(4) बल की संरचना, वाहिनियों की संख्या तथा प्रत्येक वाहिनी की संरचनात्मक सदस्य संख्या वही होगी जैसा कि विहित किया जाय। इस अध्यादेश के प्रारम्भ होने पर प्रथम चरण में पांच वाहिनियां और अग्रतर यथा विहित ऐसी वाहिनियां भी गठित की जायेंगी जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाय।

(5) बल का मुख्यालय लखनऊ में होगा और उसके अधीनस्थ कार्यालय ऐसे स्थानों पर होंगे जैसा कि विहित किया जाय।

4-(1) राज्य सरकार किसी व्यक्ति को बल का अपर महानिदेशक और अन्य व्यक्तियों को महानिरीक्षक, उप महानिरीक्षक, समादेष्टा, उपसमादेष्टा और अन्य अधीनस्थ अधिकारियों को नियुक्त कर सकती है जैसा कि अपेक्षा की जाय।

पर्यवेक्षण अधिकारियों की नियुक्ति और उनकी शक्तियाँ

(2) उपधारा (1) के अधीन इस प्रकार नियुक्त अपर महानिदेशक और प्रत्येक अन्य पर्यवेक्षण अधिकारी के पास ऐसी शक्तियां होंगी और वे ऐसी शक्तियों तथा प्राधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं जैसा कि इस अध्यादेश के अधीन उपबन्धित हों।

5-बल के अधीनस्थ अधिकारियों तथा सदस्यों की भर्ती, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती तथा प्रोन्नति बोर्ड द्वारा की जायेगी जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जैसा कि धारा 17 के अधीन बनायी गयी नियमावली में विहित किया जाय, जो राज्य सरकार के कार्मिक विभाग द्वारा बनायी गयी सामान्य नियमावली के अनुसार होगी।

बल के लिए भर्ती

6-(1) बल का अधीक्षण इस अध्यादेश तथा तद्धीन बनायी गयी नियमावली के उपबन्धों के अध्याधीन पुलिस महानिदेशक में निहित होगा और बल का समादेश, पर्यवेक्षण तथा प्रशासन, धारा 4 में निर्दिष्ट अपर महानिदेशक में निहित होगा।

बल का अधीक्षण और प्रशासन

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों के अध्याधीन ऐसी स्थानीय सीमाओं, जैसा कि विहित किया जाय, के भीतर बल का प्रशासन, इस अध्यादेश या तद्धीन बनायी गयी नियमावली के उपबन्धों के अनुसार पर्यवेक्षण अधिकारियों द्वारा और व्यक्ति (व्यक्तियों) के निकाय तथा /या राज्य सरकार द्वारा किसी नाम, नामावली या श्रेणी द्वारा अधिसूचित उसके आवासीय परिसर, मा0उच्च न्यायालय इलाहाबाद तथा लखनऊ खण्डपीठ, जिला न्यायालयों तथा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किये जाने वाले किसी अन्य न्यायालय, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों, औद्योगिक उपक्रमों, पूजा स्थलों, प्रशासनिक परिसरों, मेट्रो, हवाई अड्डों, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं, ऐसे किसी निदेश, जो राज्य सरकार या अपर महानिदेशक द्वारा इस निमित्त प्रदान किया जा सकता है, के अध्याधीन इस प्रयोजनार्थ राज्य सरकार द्वारा उस रूप में अधिसूचित किन्हीं अन्य प्रतिष्ठानों या अधिष्ठानों की संरक्षा तथा सुरक्षा के प्रभार में रखे गये प्रत्येक पर्यवेक्षण अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

निजी अधिष्ठानों को सेवाएँ प्रदान करने के लिए बल का अभिनियोजन	<p>(3) इस अध्यादेश और तद्दीन बनायी गयी नियमावली के उपबन्धों के अध्याधीन जिला पुलिस अधीक्षक को बल के पर्यवेक्षण अधिकारी के समन्वय में उसकी अधिकारिता के भीतर बल की कार्य प्रणाली का पर्यवेक्षण करने की शक्ति होगी।</p> <p>7-ऐसे किन्हीं सामान्य निदेशों, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा जारी किया जा सकता है, के अध्याधीन किसी निजी औद्योगिक अधिष्ठान या किसी अन्य निजी क्षेत्र के अधिष्ठान के प्राधिकृत व्यक्ति से प्राप्त अनुरोध के आधार पर ऐसे अधिष्ठान को ऐसी रीति से और ऐसे शुल्क संदाय पर, जैसा कि विहित किया जाय, इस अध्यादेश के अधीन सेवाएं प्रदान करने के लिए बल के सदस्यों को निदेश देना पुलिस महानिदेशक के लिए विधि सम्मत होगा।</p>
बल के सदस्यों के कर्तव्य	<p>8-बल के प्रत्येक सदस्य का निम्नलिखित कर्तव्य होगा-</p> <p>(क) अपने वरिष्ठ प्राधिकारी द्वारा विधि सम्मत रूप से जारी किये गये समस्त आदेशों का पालन करना और निष्पादन करना;</p> <p>(ख) किसी निकाय या किसी व्यक्ति या राज्य सरकार द्वारा किसी नाम, नामावली या श्रेणी द्वारा अधिसूचित उसके आवासीय परिसर, मा0उच्च न्यायालय इलाहाबाद एवं लखनऊ खण्डपीठ, जिला न्यायालयों, राज्य सरकार द्वारा यथा अधिसूचित किसी अन्य न्यायालय, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों, औद्योगिक उपक्रमों, पूजा स्थलों, प्रशासनिक परिसरों, मेट्रो, हवाई अड्डों, बैंको और अन्य वित्तीय संस्थाओं तथा इस प्रयोजनार्थ राज्य सरकार द्वारा इस रूप में अधिसूचित किन्हीं अन्य प्रतिष्ठानों या अधिष्ठानों की संरक्षा और सुरक्षा करना;</p> <p>(ग) खण्ड (ख) में निर्दिष्ट अधिष्ठानों के कर्मचारियों की संरक्षा तथा रक्षोपाय करना;</p> <p>(घ) ऐसे किसी अन्य कर्तव्य का निष्पादन करना जिसे राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर सौंपा जाय।</p>
बल का संवर्धन	<p>9-किसी मामले में अभिनियोजन के दौरान बल को संवर्धित किये जाने के प्रयोजनार्थ पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, बल के समन्वय में प्रादेशिक सशस्त्र रक्षीदल अभिनियोजित करा सकते हैं।</p>
बिना वारण्ट के गिरफ्तार करने की शक्ति	<p>10-(1) बल का कोई सदस्य, किसी मजिस्ट्रेट के किसी आदेश के बिना तथा किसी वारण्ट के बिना ऐसे किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है-</p> <p>(क) जो धारा 8 के खण्ड (ग) में निर्दिष्ट किसी कर्मचारी या बल के किसी अन्य सदस्य को यथा स्थिति ऐसे कर्मचारी के रूप में अपने कर्तव्य का निर्वहन करने या ऐसे सदस्य के रूप में अपने कर्तव्य का निष्पादन करने में या ऐसे सदस्य के रूप में अपने कर्तव्य का निष्पादन करने में या ऐसे सदस्य के रूप में अपने कर्तव्य का निर्वहन करने से उसे रोकने या भयोपरत करने के आशय से या ऐसे सदस्य के रूप में अपने कर्तव्य का विधि सम्मत रूप में निर्वहन करने में उसके द्वारा कृत या किये गये प्रयास के फलस्वरूप जानबूझकर उपहति करेगा या उपहति करने का प्रयास करेगा या सदोष अवरोध करेगा या सदोष अवरोध कारित करने का प्रयास करेगा या हमला करेगा, हमला करने की धमकी देगा या अपराधिक बल का प्रयोग, धमकी देने या धमकी देने का प्रयास करने के लिए करेगा;</p> <p>(ख) जो धारा 8 के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट किन्हीं अधिष्ठानों या सम्बन्धित अन्य प्रतिष्ठानों से सम्बन्धित या उनके परिसर की सम्पत्ति या उसके प्रभार के अधीन अन्य प्रतिष्ठानों के परिसर की सम्पत्ति से सम्बद्ध रहा हो या जिसके विरुद्ध उसमें उसके सम्बद्ध होने का युक्तियुक्त संदेह विद्यमान हो या जो ऐसी परिस्थितियों, जिसके निमित्त यह विश्वास करने का कारण उत्पन्न होता हो कि वह तत्संबंध में संज्ञेय अपराध करने की दृष्टि से ऐसी सावधानियां बरत रहा है, के अधीन अपनी उपस्थिति छिपाने के लिए सावधानियां बरतते हुए पाया गया हो;</p>

(ग) जो ऐसा संज्ञेय अपराध करता है या करने का प्रयास करता है जिसमें धारा 8 के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट किन्हीं अधिष्ठानों से सम्बन्धित कोई कार्य करने में संलग्न किसी व्यक्ति के जीवन के प्रति खतरा अंतर्वलित हो या अंतर्वलित होना संभाव्य हो।

(2) यदि कोई व्यक्ति धारा 8 के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट किसी अधिष्ठान के परिसर का अतिचार करते हुए पाया जाता है तो उसे ऐसे किसी अन्य कार्यवाही, जो उसके विरुद्ध की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना बल के किसी सदस्य द्वारा ऐसे परिसर से हटाया जा सकता है।

(3) इस धारा के अधीन प्रयोग की जाने वाली शक्तियों की रीति इस निमित्त विहित नियमावली द्वारा शासित होगी।

11-(1) जब कभी बल के किसी सदस्य के पास यह विश्वास करने का कारण हो कि धारा 10 में निर्दिष्ट कोई अपराध किया गया है या किया जा रहा है और यह कि अपराधी को निकल भागने का, या अपराध के साक्ष्य को छिपाने का अवसर दिये बिना तलाशी वारण्ट प्राप्त नहीं किया जा सकता है तब वह उक्त अपराधी को निरुद्ध कर सकता है और तत्काल उसकी एवं उसके माल-असबाब की तलाशी ले सकता है और यदि वह उचित समझे तो ऐसे किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है जिसे उसके पास यह विश्वास करने का कारण हो कि उसने अपराध किया है।

(2) दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 का तलाशियों से सम्बन्धित उपबन्ध, इस धारा के अधीन आवश्यक परिवर्तन सहित तलाशियों के लिए प्रयुक्त होगा।

(3) इस धारा के अधीन प्रयोग की जाने वाली शक्तियों की रीति इस निमित्त विहित नियमावली द्वारा शासित होगी।

12-इस अध्यादेश के अधीन गिरफ्तार करने वाले बल के किसी सदस्य को अविलम्ब गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को पुलिस अधिकारी को सौंपना होगा या किसी पुलिस अधिकारी की अनुपस्थिति में गिरफ्तारी की परिस्थितियों को वर्णित करती हुई रिपोर्ट के साथ निकटस्थ पुलिस थाना पर ले जायेगा अथवा ले जाने की व्यवस्था करेगा।

13-(1) बल का प्रत्येक सदस्य, इस अध्यादेश के प्रयोजनार्थ सदैव ड्यूटी पर माना जायेगा और राज्य के भीतर किसी स्थान पर किसी भी समय नियोजित किये जाने योग्य होगा।

(2) बल का कोई सदस्य इस अध्यादेश के अधीन अपने ड्यूटी से भिन्न किसी नियोजन या कार्यालय में स्वयं संलग्न नहीं होगा।

14-बल का प्रत्येक सदस्य समस्त अध्यादेशों, सुसंगत अनुशासन व अपील नियमावलियों, आचरण नियमावलियों तथा उत्तर प्रदेश पुलिस के सदस्यों के लिए यथाप्रयोज्य सेवा की समस्त निबंधन एवं शर्तों को शासित करने वाली समस्त अन्य नियमों तथा शासनादेशों के अध्याधीन होगा।

15-इस अध्यादेश या तद्धीन बनायी गयी किसी नियमावली के अधीन सद्भावनापूर्वक कृत या किये जाने हेतु आशयित किसी बात के लिए बल के किसी अधिकारी या सदस्य के आदेश या निदेश के अधीन बल के किसी अधिकारी या सदस्य के विरुद्ध या किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद या अभियोग नहीं किया जायेगा।

16-राज्य सरकार के पूर्व स्वीकृति के बिना अपनी ड्यूटी का निर्वहन करने में कृत किसी बात या कृत या किये जाने हेतु आशयित किसी कार्यवाही के संबंध में कोई न्यायालय बल के किसी सदस्य के विरुद्ध किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा।

17-(1) राज्य सरकार इस अध्यादेश के उपबन्धों को क्रियान्वित करने के लिए अधिसूचना द्वारा नियम बना सकती है।

(2) विशेष रूप से और पूर्ववर्ती शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में समस्त या कोई मामला उपबन्धित हो सकता है, अर्थात्:-

(क) बल के सदस्यों के वर्गों, रैंकों, ग्रेडों, वेतन और पारिश्रमिक तथा बल में उनकी सेवा शर्तों और भर्ती को विनियमित करना;

वारण्ट के बिना तलाशी लेने की शक्ति

गिरफ्तारी के पश्चात् अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया

बल के सदस्य सदैव ड्यूटी माने जायेंगे और राज्य में कहीं भी नियोजित किये जा सकेंगे

सेवा की निबंधन एवं शर्तें

सद्भावनापूर्वक कृत कार्यवाही का संरक्षण

अपराध का संज्ञान

नियम बनाने की शक्ति

(ख) इस अध्यादेश द्वारा या तद्धीन किन्हीं कृत्यों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत बल के सदस्यों की शक्तियों और उनके कर्तव्यों को विनियमित करना;

(ग) ऐसी रीति को विहित करना जिसमें अधिष्ठापन तथा आधारभूत प्रशिक्षण और सेवा विशिष्टीकृत प्रशिक्षण प्रदान किया जाना हो;

(घ) आयुधों, साजसज्जा, वस्त्रों तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं, बल के सदस्यों को उपलब्ध कराये जाने वाले यानों, उपस्करों तथा अन्य आवश्यक संसाधनों के प्रकार तथा उनकी मात्रा को विहित करना;

(ङ) बल के सदस्यों के आवास स्थलों को विहित करना;

(च) जांच आयोजित करने और दण्ड की प्रक्रिया को विहित करना और ऐसे प्राधिकारियों को विहित करना, जिन्हें दण्ड के आदेशों से अपील की जा सकती है और ऐसे अपील के निस्तारण के लिए अनुसरण की जानी वाली प्रक्रिया;

(छ) ऐसी रीति जिसमें और ऐसा शुल्क जिसका संदाय किये जाने पर निजी संगठनों को सुरक्षा उपलब्ध करायी जायेगी।

कठिनाइयां दूर
करने की शक्ति

18-(1) यदि इस अध्यादेश के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे आवश्यक उपबन्ध, जो इस अध्यादेश के उपबन्धों से असंगत न हों, कर सकती है जो उसे कठिनाईयों को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों :

परन्तु यह कि इस अध्यादेश के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् इस उपधारा के अधीन कोई आदेश नहीं किया जायेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन जारी किया गया प्रत्येक आदेश इसे किये जाने के पश्चात यथाशक्य शीघ्र विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जायेगा।

आनंदीबेन पटेल,
राज्यपाल,
उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
जे०पी० सिंह-11,
प्रमुख सचिव।

No. 1197 (2)/LXXIX-V-1-2020-2(ka)19-2020

Dated Lucknow August 2, 2020

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Vishesh Suraksha Bal Adhyadesh, 2020 (Uttar Pradesh Adhyadesh Sankhya 18 of 2020) promulgated by the Governor. The Grih (Police) Anubhag-6 is administratively concerned with the said Ordinance.

THE UTTAR PRADESH SPECIAL SECURITY FORCE ORDINANCE 2020

(U.P. ORDINANCE No. 18 OF 2020)

[Promulgated by the Governor in the Seventy first Year of the Republic of India]

AN

ORDINANCE

to provide for the constitution and regulation of a specific trained police force of the State of Uttar Pradesh for protection and security of persons and installations where it is deployed and for matters connected therewith or incidental thereto.

WHEREAS the State Legislature is not in session and the Governor is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (I) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor is pleased to promulgate the following Ordinance :-

<p>1. (1) This Ordinance may be called the Uttar Pradesh Special Security Force Ordinance, 2020.</p> <p>(2) It extends to the whole of the State of Uttar Pradesh.</p> <p>(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification, appoint</p>	<p>Short title, extent and commencement</p>
<p>2. (1) In this Ordinance, unless the context otherwise requires,-</p> <p>(a) “Commandant”, “Deputy Commandant”, and “Assistant Commandant” mean persons appointed as such by the State Government on or after the constitution of the Special Security Force;</p> <p>(b) “Director General of Police” means the person appointed as such by the State Government as the head of the Uttar Pradesh Police Force;</p> <p>(c) “Establishment” means any public or private building, premises or campus being used in connection with the affairs of any organization serving educational, commercial, recreational, philanthropic, cultural purposes and includes any place of public congregation or a mass transit system as notified by the State Government;</p> <p>(d) “Force” means the Uttar Pradesh Special Security Force constituted under section 3;</p> <p>(e) “Industrial Undertaking” means any undertaking as notified by the State Government pertaining to a scheduled industry [as defined in clause (i) of section 3 of the Industries (Development and Regulation) Act,1951] and includes an undertaking engaged in any other industry, or in any trade, business or service which may be regulated by Parliament or State Legislature by law;</p> <p>(f) “Installation” means any statue, monument, building, premises or campus being used in connection with the affairs of any organization, including offices, associated buildings, residential area and property of that organization in that premises or campus as notified by the State Government;</p> <p>(g) “Member of the Force” means a person appointed to the Force;</p> <p>(h) “Private” means an installation or establishment, controlled or managed by a person other than Central or State Government or their agencies;</p> <p>(i) “Subordinate Officer” means a person appointed to the Force in Inspector or a Sub-Inspector rank;</p> <p>(j) “Supervisory Officer” means in relation to an officer of the Force, any officer of a rank which is prescribed as higher than that of such officer;</p> <p>(k) “Uttar Pradesh Police” means the force of the State of Uttar Pradesh constituted under the Police Act, 1861;</p> <p>(l) “UP Pradeshik Armed Constabulary” means the force constituted under the UP Pradeshik Armed Constabulary Act, 1948;</p> <p>(m) “UP Police Recruitment and Promotion Board” means the Board constituted for recruitment and promotion by the Government Order 1256/6-१०-10-2008-27(7)/08;</p> <p>(2) Words and expressions used and not defined in this Ordinance but defined in the Indian Penal Code, 1860 and the Code of Criminal Procedure, 1973 shall have the meanings respectively assigned to them therein;</p>	<p>Definitions</p>
<p>3.(1) There shall be constituted and maintained by the State Government a Force to be called the Uttar Pradesh Special Security Force for the better protection and security of a body or a person or the residential premises thereof notified as such by the State Government by name,</p>	<p>Constitution of the Force</p>

nomenclature or category; Strategic and vital Installations including the High Court of Judicature at Allahabad and Lucknow bench, District Judgeships and any other court notified by the State Government, administrative office premises, shrines, metro rail, airports, banks, other financial institutions, industrial undertakings and any other installations or establishments notified by the State Government, as such, for this purpose.

(2) The Force shall be constituted in such manner and shall consist of such numbers of supervisory officers, sub-ordinate officers, under officers and other enrolled members of the Force as may be prescribed by the State Government.

(3) The members of the Force shall receive such pay and other remuneration as may be prescribed as notified by the State Government.

(4) The structure, the number of battalions and compositional strength of each battalion of the Force shall be such as may be prescribed. At the commencement of this Ordinance, five battalions shall be raised in the first phase and further such battalions shall be raised as may be prescribed as notified by the State Government.

(5) The Headquarters of the Force shall be at Lucknow and subordinate offices thereof shall be at such places as may be prescribed.

Appointment and powers of supervisory officers

4. (1) The State Government may appoint a person to be the Additional Director General of the Force and other persons to be the Inspector General, the Deputy Inspector General, the Commandant, the Deputy Commandant and such other subordinate officers as may be required.

(2) The Additional Director General and every other supervisory officer so appointed under sub-section (1) shall have, and may exercise, such powers and authorities as provided under this Ordinance.

Recruitment to the Force

5. The recruitment of the subordinate officers and members of the Force shall be done by the UP Police Recruitment and Promotion Board which shall exercise such powers as may be prescribed in the rules made under section 17 which shall be in accordance with general rules made by the Personnel Department of the State Government.

Superintendence and administration of the Force

6. (1) The superintendence of the Force shall vest in the Director General of Police and subject to the provisions of this Ordinance and the rules made thereunder, and the command, supervision and administration of the Force shall vest in the Additional Director General referred to in section 4.

(2) Subject to the provisions of sub-section (1), the administration of the Force within such local limits as may be prescribed shall be carried on by the supervisory officers in accordance with the provisions of this Ordinance or the rules made thereunder, and every supervisory officer placed in charge of the protection and security of body of person(s) and/or his residential premises notified as such by the State Government by name, nomenclature or category; the High court of Judicature at Allahabad and Lucknow bench, District Judgeships and any other court that may be notified by the State Government, vital installations, industrial undertakings, shrines, administrative premises, metro, airports, banks and other financial institutions and any other installation or establishment notified by the State Government, as such, for this purpose subject to any direction that may be given by the State Government or the Additional Director General in this behalf.

(3) Subject to the provisions of this Ordinance and the rules made thereunder, the Superintendent of Police of the district, in co-ordination with the Supervisory officer of the Force, shall have the power to oversee the functioning of the Force within his jurisdiction.

Deployment of the Force for providing services to private Establishments

7. Subject to any general directions which may be issued by the State Government, it shall be lawful for the Director General of Police, on a request received from authorized person of a private industrial establishment or any other establishment in the private sector to direct the members of the Force to provide services under this Ordinance to such establishment in such manner and on payment of such fee as may be prescribed.

<p>8. It shall be the duty of every member of the Force-</p> <p>(a) to obey and execute all orders lawfully issued to him by his superior authority;</p> <p>(b) to protect and secure a body or a person or the residential premises thereof notified by the State Government by name, nomenclature or category, Hon'ble High court of Judicature at Allahabad and Lucknow bench, District Judgeships and any other court as notified by the State Government, vital installations, industrial undertakings, shrines, administrative premises, metro, airports, banks and other financial institutions and any other installations or establishments notified by the State Government, as such, for this purpose;</p> <p>(c) to protect and safeguard the employees of establishments referred in clause(b);</p> <p>(d) to perform any other duty which may be entrusted by the State Government, from time to time.</p>	<p>Duties of members of the Force</p>
<p>9. For the purpose of augmenting the Force during its deployment in any case, the Director General of Police may, cause deployment of UP Pradeshik Armed Constabulary in coordination with the Force.</p>	<p>Augmentation of the Force</p>
<p>10. (1) Any member of the Force may, without any order from a Magistrate and without a warrant, arrest,-</p> <p>(a) any person, who voluntarily causes hurt to or attempts voluntarily to cause hurt to, or wrongfully restrains or attempts wrongfully to restrain or assaults, threatens to assault or uses or threatens or attempts to use criminal force to any employee, referred to in clause (c) of section 8, or any other member of the Force, in discharge of his duty as such employee or in execution of his duty as such member, as the case may be, or with intent to prevent or to deter him from discharging his duty as such member or in consequence of anything done or attempted to be done by him in the lawful discharge of his duty as such member;</p> <p>(b) any person who has been concerned in, or against whom a reasonable suspicion exists of his having been concerned in, or who is found taking precautions to conceal his presence under circumstances which afford reason to believe that he is taking such precautions with a view to committing a cognizable offence which relates to property belonging to, or in the premises of, any establishments referred to in clause (b) of section 8, or relates to other installations, or to property in the premises of the other installations under his charge;</p> <p>(c) any person who commits or attempts to commit a cognizable offence which involves or which is likely to involve danger to the life of any person engaged in carrying on any work relating to any establishments referred to in clause (b) of section 8.</p> <p>(2) If any person is found trespassing on the premises of any establishment referred to in clause (b) of section 8, he may, without prejudice to any other proceeding which may be taken against him, be removed from such premises by a member of the Force.</p> <p>(3) The manner in which the powers under this section are exercised shall be governed by rules prescribed in this behalf.</p>	<p>Power to arrest without warrant</p>
<p>11. (1) Whenever any member of the Force, has reasons to believe that any offence referred to in section 10 has been committed or is being committed and that a search warrant may not be obtained without affording the offender an opportunity of escaping or of concealing evidence of the offence, he may detain the offender and search his person and belongings forthwith and, if he thinks proper, arrest any person whom he has reason to believe to have committed the offence.</p>	<p>Power to search without warrant</p>

	(2) The provision of the Code of Criminal Procedure, 1973 relating to searches shall, <i>mutatis mutandis</i> apply to searches under this section.
	(3) The manner in which the powers under this section are exercised shall be governed by rules prescribed in this behalf.
Procedure to be followed after arrest	12. Any member of the Force making an arrest under this Ordinance, shall, without delay, hand over the person so arrested to a police officer, or in the absence of a police officer, take such person or cause him to be taken to the nearest police station together with a report of the circumstances occasioning the arrest.
Members of the Force to be considered always on duty and liable to be employed anywhere in the State	13. (1) Every member of the Force shall, for the purpose of this Ordinance, be considered to be always on duty and shall, at any time, be liable to be employed at any place within the State.
	(2) No member of the Force shall engage himself in any employment or office other than his duties under this Ordinance.
Terms and Conditions of service	14. Every member of the Force shall be subjected to all Ordinances, relevant discipline, appeal rules, conduct rules and all other rules and Government Orders governing all terms and conditions of the service as applicable to a members of the Uttar Pradesh Police.
Protection of action taken in good faith	15. No suit or prosecution shall lie against any officer or member of the Force or against any person an acting under the order or the direction of any officer or member of the Force for anything which is done or intended to be done in good faith under this Ordinance or any rules made thereunder.
Cognizance of offence	16. No Court shall take cognizance of an offence against any member of the Force with regard to any thing done or any action taken or purporting to have been done or taken in the discharge of his duty except with the prior sanction of the State Government.
Power to make rules	17. (1) The State Government may by notification make rules for carrying out the provisions of this Ordinance. (2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing powers, such rules may provide for all or any of the following matters, namely:— (a) Regulating the classes, ranks, grades, pay and remuneration of members of the Force and their conditions of service and recruitment in the Force; (b) regulating the powers and duties of members of the Force authorized to exercise any functions by or under this An Ordinance; (c) prescribing the manner in which induction and basic training and service specialized training is to be imparted; (d) prescribing the description and quantity of arms, accoutrements, clothing and other necessary articles; and vehicles, equipments and other necessary resources to be furnished to the members of the Force; (e) prescribing the places of residence of the members of the Force; (f) regulating the procedure of conducting enquiry, punishment and prescribing authorities to whom appeal may be preferred from orders of punishment and the procedure to be followed for the disposal of such appeal; (g) the manner in which and the fee on payment of which the security to be provided to private organizations.
Power to remove difficulties	18. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Ordinance, the State Government may, by order published in the <i>Gazette</i> , make necessary provisions, not inconsistent with the provisions of this Ordinance, as may appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulties:

Provided that no order shall be made under this sub-section after the expiry of the period of two years from the date of commencement of this Ordinance.

(2) Every order made under sub-section (1) shall be laid, as soon as may be after it is made before each house of the State Legislature.

ANANDIBEN PATEL,
Governor,
Uttar Pradesh.

By order,
J.P. SINGH-II,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 143 राजपत्र-2020-(308)-599 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी/आफसेट)।
पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 10 सा० विधायी-2020-(309)-300 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी/आफसेट)।